राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग
राजस्थान, जयपुर
E-mail : pd-mmjrk-rj@nic.in, co_mmjrk.nrhm@yahoo.in Tel. No. 0141-5110731

एफ29(73)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/बीपीएल काउण्टर स्टाफ/17/458 दिनांक 1|8|2017

आदेश

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के प्रारंभ होने के पश्चात् राज्य में तीन नवीन योजनाऐं (यथा – मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना एवं भामशाह स्वास्थ्य बीमा योजना) प्रारंभ हो जाने के कारण वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आईडी क्रमांक 101700633, दिनांक 03.03.2017 के द्वारा मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत कार्यरत समस्त संविदाकर्मियों के पदों को समाप्त कर दिया गया है। जिसकी पालना में विभाग द्वारा सम संख्यक कार्यालय आदेश क्रमांक 441, दिनांक 26.07.2017 जारी कर राज्य के समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त सीएचसी प्रभारियों को एमएमजेआरके के तहत कार्यरत संविदाकर्मियों की सेवाओं के संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त निर्देशें की पालना किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत कार्यरत संविदाकर्मियों की सेवायें समाप्त किये जाने के पश्चात् कार्य व्यवस्था के तहत योजना से संबंधित समस्त कार्य यथा – बीपीएल काउण्टर का संचालन, मरीजों को दवाईयां उपलब्ध करवाना, सीएमबीपीएलजेआरके सॉफ्टवेयर में डाटा की एन्ट्री, बीपीएल रोगियों के उपचार पर किये गये व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाकर भिजवाना तथा प्रतिमाह भिजवाई जाने वाली प्रोगेस रिपोर्ट का समस्त कार्य मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में कार्यरत फार्मासिस्ट/मशीन विद मैन/लेखाकर्मी से करवाया जाकर एमएमजेआरके योजना के समस्त लाभार्थियों को पूर्व की भांति निशुल्क उपचार प्रदान करवाया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देशें से संबंधित परिपत्र पृथक से जारी किया जा रहा है।

शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग एवं मिशन
निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
12. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, राजस्थान।
13. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को भिजवाकर लेख है कि उक्त परिपत्र की प्रति संबंधित जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारियों को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
15. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला/उप खण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय, राजस्थान।
16. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
17. प्रभारी सर्वर रुम कृपया संबंधित को ई–मेल करवाये एवं विभाग की संबंधित वैबसाईट/ सॉफ्टवेयर पर अपलोड करवाये।

परियोजना निदेशक
मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष